# न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
## जिला सवाई माधोपुर
### पीठासीन अधिकारी–श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

| मुकदमा नम्बर | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
| --- | --- | --- |
| 6/2024 | 10.1.2024 | 29-12-2025 |

1. मगनलाल पुत्र चिरंजीलाल, गुर्जर निवासी सलेमपुर तहसील गंगापुर सिटी
2. शंकरलाल पुत्र चिरंजीलाल, गुर्जर निवासी सलेमपुर तहसील गंगापुर सिटी
3. मगनी बाई पुत्री चिरंजीलाल, गुर्जर निवासी सलेमपुर तहसील गंगापुरसिटी

——वादीगण

बनाम

1. मंदिर श्री बालाजी धुंधेश्वर जरिए पुजारी शंकरलाल पुत्र मिश्रीलाल जाति ब्राह्मण निवासी हिंगोट्या तहसील गंगापुर सिटी
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, वादीगण की ओर से
श्री परमानन्द शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 1 की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी दावा वादीगण ने इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी साबिक एकीकरण ख0नं0 47 रकबा 17 विस्वा, ख0नं0 48 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा, ख0नं0 269 रकबा 5 बीघा 10 विस्वा, ख0नं0 299 रकबा 2 बीघा 19 विस्वा वाके ग्राम सलेमपुर तहसील गंगापुर सिटी की खातेदारी वादीगण के बाबा सोन्या पुत्र मोती के नाम सं0 2028–31 में दर्ज रही जिस पर काबिज रहकर वादीगण के बाबा व पिता लगातार लाभान्वित होते रहे हैं तथा वर्तमान में वादीगण उक्त भूमि पर काबिज रहकर भूमि को लगातार काश्त करते चले आ रहे हैं। दौराने सेटलमेंट वादीगण की भूमि ख0नं0 47 रकबा 17 विस्वा तथा ख0नं0 48 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा के नये ख0नं0 49 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 50 रकबा 0.25 है0, ख0नं0 54 रकबा 0.18 है0, ख0 नं0 50/893 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 54/894 रकबा 0.13 है0 कायम किए गए हैं। इनमें हाल ख0नं0 50 रकबा 0.25 है0 एवं ख0नं0 54 रकबा 0.18 है0 को साबिक ख0नं0 47 मिन व 48 मिन से [illegible] गलत रूप से मिलान क्षेत्रफल में अंकित किया क्योंकि [illegible] 50 व 54 साबिक ख0नं0 48 के हाल ख0नं0 जो साबिक व हाल नक्शा [illegible] से स्पष्ट है। सेटलमेंट विभाग द्वारा वादीगण के साबिक ख0नं0 47 र[illegible]ा 17 विस्वा से कायम किए गए। हाल ख0नं0 49 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 50/893 रकबा 0.05 है0 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.01.15 13:39:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज0) गंगापुर सिटी (स0मा0) सत्यमेव जयते

ख0नं0 94/894 रकबा 0.13 है0 जो वादीगण की खातेदारी की भूमि थी को गलत रूप से व अवैधानिक तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज कर दिया क्योंकि साबिक ख0नं0 47 वादीगण की खातेदारी की भूमि थी जिस पर आज भी वादीगण काबिज काश्त है परन्तु सेटलमेंट द्वारा की गई अवैधानिक कार्यवाही के कारण भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज है जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण को उसकी खातेदारी भूमि से बेदखल करने पर आमादा है इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने तथा विवादित भूमि ख0नं0 49, 50/893, 54/894 ग्राम सलेमपुर की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने की घोषणा कराने व रेवेन्यू रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करवाने के अधिकारी हैं। वादीगण को रेवेन्यू रिकार्ड में हो रहे गलत इन्द्राज की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी परन्तु जितेन्द्र बनाम मगनलाल दावा न्यायालय श्रीमान के यहां होने तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपना जबाब दावा पेश करने पर उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई तथा दिनांक 6.8.2023 को पटवारी हलका व गिरदावर द्वारा मौके पर जाकर भूमि से अपना कब्जा हटाने की धमकी देने पर उक्त समस्त तथ्यों की जानकारी हुई। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का डिक्री फरमाया जावे कि विवादित भूमि ख0नं0 49 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 50/893 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 54/894 रकबा 0.13 है0 ग्राम सलेमपुर तहसील गंगापुर सिटी का वादीगण को खातेदार घोषित फरमाया जावे तथा उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चले आ रहे रेवेन्यू रिकार्ड के इन्द्राज को हजफ फरमाया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे। कि वह वादीगण को उक्त विवादित भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें न ही अवैधानिक रूप से भूमि से बेदखल करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से इनके अभिभाषक उपस्थित हुए परन्तु इनकी ओर से कोई जबाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं दिनांक 22.7.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 व इनके अभिभाषक के उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की [illegible] लिया है कि वर्तमान

प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना [illegible] श्री बालाजी कुन्देश्वर जमाबंदी सं0 2071–74 की [illegible] किस्म गैरमुमकिन राह, ख0नं0 हिस्सा पूर्ण खातेदार ख0नं0 49 रकबा 0.0[illegible] किस्म गैरमुमकिन राह, ख0नं0 50/893 रकबा 0.05 है0 किस्म चाही 2 व ख0नं0 54/894 रकबा 0.13 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.01.15 13:39:05 IST
Reason: SelfAttested

सि0/
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज0) सत्यमेव जयते

चाही 2 रिकार्ड दर्ज है। वर्तमान में भूमि मौके पर खाली पडी हुई है। जमाबंदी सं0 2028 से 2031 तक की खाता संख्या 130 पर सोन्या पुत्र मोती जाति गुर्जर सा0 देह ख0नं0 48 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा किस्म बारानी ए, ख0नं0 269 रकबा 5 बीघा 10 विस्वा बारानी 2, ख0नं0 299 रकबा 2 बीघा 19 विस्वा किस्म बारानी 1, ख0नं0 47 रकबा 17 विस्वा बारानी 1 रिकार्ड में दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक ख0नं0 47 मिन से नवीन ख0नं0 49 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 50/893 रकबा 0.05 है0 व ख0नं0 54/894 रकबा 0.13 है0 बने है।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकी कायम की गईः–

1. आया एकीकरण ख0नं0 47 रकबा 17 विस्वा, 48 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा, 269 रकबा 5 बीघा 10 विस्वा, 299 रकबा 2 बीघा 19 विस्वा ग्राम सलेमपुर की खातेदारी वादीगण के बाबा सोन्या पुत्र मोती के नाम रही जिस पर वादीगण काबिज काश्त है। ——वादीगण

2. आया दौराने सेटलमेंट वादीगण की भूमि साबिक ख0नं0 47 के नये ख0नं0 49 रकबा 0.02 है0, 50/893 रकबा 0.05 है0, 54/894 रकबा 0.13 है0 कायम किए गए तथा साबिक ख0नं0 48 के नये ख0नं0 50 रकबा 0.25 है0, 54 रकबा 0.18 है0 कायम किए परन्तु इन्हें गलत रूप से साबिक ख0नं0 47 मिन व 48 मिन से बनना मिलान क्षेत्रफल में अंकित किया है।——वादीगण

3. आया भूमि हाल ख0नं0 49 रकबा 0.02 हैक्टर, 50/893 रकबा 0.05 हैक्टर, 54/894 रकबा 0.13 हैक्टर ग्राम सलेमपुर वादीगण की भूमि साबिक ख0नं0 47 रकबा 17 विस्वा के नये खसरा नम्बर है जिन्हें सेटलमेंट विभाग द्वारा गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया है। उक्त ख0नं0 की वादीगण स्वयं के नाम खातेदारी की घोषणां कराने व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कराने के अधिकारी हैं। ——वादीगण

4. अनुतोष ।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी सं0 2028 से 2031 प्रदर्श–2, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–4, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श–5, नकल जमाबंदी सं0 2071 [illegible] प्रदर्श–6, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श–7 प्रस्तुत किए हैं एवं बयान [illegible]नलाल पुत्र चिरंजी गुर्जर पी0डब्लू0 1 कराए हैं।

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अपने [illegible]बाब के समर्थन में कोई मौखिक साक्ष्य नहीं कराई गई है।

बहस विद्वान अभिभाषक वादीगण सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.01.15 13:39:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज0)
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (स0मा0)

वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादीगण के पूर्वजों की भूमि साबिक ख0नं0 47 से भू–प्रबन्ध के दौरान नवीन ख0नं0 49 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 50/893 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 54/894 रकबा 0.13 है0 बनाए गए हैं जिन्हें गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज कर दिया गया है। वादीगण इन नम्बरों की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं। इसी अनुसार वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी सं0 2028 से 2031 प्रदर्श–2 के अनुसार भूमि ख0नं0 48 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा, ख0नं0 269 रकबा 5 बीघा 10 विस्वा, ख0नं0 299 रकबा 2 बीघा 19 विस्वा, ख0नं0 47 रकबा 17 विस्वा सोन्या पुत्र मोती गूजर की खातेदारी में दर्ज है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल मिलान क्षेत्रफल साबिक ख0नं0 47 व 48 का ही है, साबिक ख0नं0 269 व 299 का मिलान क्षेत्रफल वादीगण ने प्रस्तुत नहीं किया है जबकि वादीगण को उनके पूर्वज सोन्या के नाम दर्ज भूमि के समस्त नम्बरों का मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत करना चाहिए था। वादीगण ने भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बनाई गई प्रथम खतौनी की प्रति प्रस्तुत नहीं की है एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम भू–प्रबन्ध से पूर्व कितनी भूमि खाते में दर्ज थी एवं भू–प्रबन्ध के बाद कितनी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में आई है, इसका भी राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार वादीगण ने अपूर्ण राजस्व अभिलेख प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

## आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपूर्ण दस्तावेजात के अभाव में वादीगण का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/12/2[illegible] को सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.01.15 13:39:05 IST
Reason: SelfAttested

( बृजेन्द्र मीना )
उप जिला कलक्टर
उपखण्ड सिटी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०) सत्यमेव जयते गंगापुर सिटी (स०मा०)

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई (ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी) (Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत       उप जिलाकलक्टर       मुकाम       गंगापुर सिटी
इजलास       बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

1. मगनलाल पुत्र चिरंजीलाल, गुर्जर निवासी सलेमपुर तहसील गंगापुर सिटी
2. शंकरलाल पुत्र चिरंजीलाल, गुर्जर निवासी सलेमपुर तहसील गंगापुर सिटी
3. मगनी बाई पुत्री चिरंजीलाल, गुर्जर निवासी सलेमपुर तहसील गंगापुरसिटी

—वादीगण

बनाम

1. मंदिर श्री बालाजी धुंवेश्वर जरिए पुजारी शंकरलाल पुत्र मिश्रीलाल जाति ब्राह्मण निवासी हिंगोट्या तहसील गंगापुर सिटी
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. —6/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री परमानंद शर्मा, एड. मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपूर्ण दस्तावेजात के अभाव में वादीगण का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.12.25 को जारी किया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

| मुद्दई | रुपया | पैसा | मुद्दायलह | रुपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प पर्चा | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महनतानावकील पर | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | | मुतफर्रिक | | |
| मुतफर्रिक | | | मीजान | | |
| मीजान | | | | | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.01.15 13:39:05 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अ...
गंगापुर सिटी (...

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते